राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	306/2024	संतोष कुमारी	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुन्झुनूं।
2.	282/2024	अनिता कुमारी	
3.	283/2024	अरविन्द कुमार	
4.	307/2024	मुकेश कुमार	
5.	310/2024	रसीद अली	
6.	311/2024	तब्बुसुम बानो	
7.	314/2024	शमशाद अली	
8.	315/2024	प्रदीप कुमार	
9.	312/2024	नानची	

आदेश की दिनांक : 09.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 306/2024 संतोष कुमारी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्ष 2013 में एलडीसी के पद पर नियुक्त हुआ था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत अलसीसर से पंचायत समिति बुहाना में स्थानांतरित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित है जबकि अपीलार्थी के स्थान पर कोई अन्य कार्मिक नियुक्त नहीं किया है। इसलिए वह पद आज तक रिक्त है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति अलसीसर से अन्य जिले की पंचायत समिति बुहाना में स्थानान्तरण किया गया है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता भी प्रभावित होगी। वरिष्ठता सूची का संधारण जिला/जिला परिषद स्तर पर होता है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होने से अपीलार्थी अपने कनिष्ठों से कनिष्ठ हो जाएगा। झुंझुनूं जिले की वरिष्ठता सूची अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी के पति सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी का स्थानांतरण 125 किलोमीटर दूर किया गया है। आलौच्य आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के उल्लंघन में जारी किया गया है क्योंकि उनके द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासनिक सुधार विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के

अनुसार जिला परिषद किसी भी कर्मचारी का जिले के भीतर स्थानान्तरण कर्मचारी की इच्छा पर एवं जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जा सकता है परन्तु अपीलार्थी ने स्थानान्तरण हेतु कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् झुन्झुनूं द्वारा जिला परिषद की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति की अभिशंषा के बिना ही आलौच्य आदेश जारी किए गए है जो नियम 289 का उल्लंघन है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 की धारा 89(8)(ii) के उल्लंघन में जारी किया गया है। धारा 89(8)(ii) के अनुसार स्थानान्तरण संबंधित प्रधान एवं जिला प्रमुख (जैसी भी स्थिति हो) के परामर्श से एक पंचायत समिति में दूसरे पंचायत समिति में किया जायेगा परन्तु आलौच्य आदेश में संबंधित प्रधानों की सहमति का कोई अंकन नहीं है जिसके अभाव में आलौच्य आदेश अवैध एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित गतिविधिया) नियम 2011 के नियम 8 (ii) के उल्लंघन में जारी किया गया। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है। अपीलार्थी का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया गया है जबकि उसकी वरिष्ठता जिला/जिला परिषद स्तर पर संधारित होती है। अतः आलौच्य आदेश नियम विरूद्ध होने के आधार पर अपास्त योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 15.02.2024 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को ग्राम पंचायत अलसीसर में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् सेवा का गठन से संबंधित है जिसमे पंचायत समिति एवं जिला परिषद में पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति किये जाने बाबत धारा 89 (8) में प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कार्मिको के सामान्य स्थानान्तरण बाबत किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के स्थानान्तरण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SB Civil Writ Petition No. 3539/2011 Smt Anita Middha Versus Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur & ors Date of Order 12th October, 2011 द्वारा निम्न निर्धारित किया गयाः–

13. There is glaring anomaly in the Rules. When sub section 8 is read with sub section 8A appointment by promotion and appointment by transfer which are recognized mode of appointment to service, in the Rules, no power has been specifically and expressly vested with the appointing authority to transfer an employee in terms of section 89. Sub Section 8A only deals with the transfers. There is no substance in the plea of the leaned counsel for the petitioners that Section 89(8)(ii) deals with transfers. Sub section 8 contains opening word "Appointment by--". Two separate modes of appointment have been suggested by

means of sub section 8(i) and Sub section 8(ii). It does not deal with simplicitor transfer. It deals with appointment by transfer after consultation with the Pradhans or the Pramukhs, as the case may, of the Panchayat Simitis or the Zila Parishads. जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका D.B. CIVIL SPECIAL APPEAL (WRIT) NO. 2122/2011 IN S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 16387/2010 SMT. MAMTA SIDANA VS. RAJASTHAN CIVIL SERVICES APPELLATE TRIBUNAL & OTHERS. 16-12-2011 एवं D.B. SPECIAL APPEAL (WRIT) No. 2582/2011 IN S.B. CIVIL WRIT PETITION No. 15745/2010 A one vs. District Elementary Education Officer & Ors. 6th January, 2012 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई (अनुलग्नक आर–1)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 946/2021 Kavita Kumari Meena- State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Ayurved Department, Govt-Secretariat, Jaipur. & ors Order 03/02/2021 में अभिनिर्धारित किया गया – the transfers have been made only within one District which cannot be treated as transfer within a meaning of service matters as defined under Section (f) of the Act of 1976 and is merely posting made within one District. जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका D.B. Special Appeal Writ No. 175/2021 Kavita Kumari Meena Versus 1. The State Of Rajasthan Order 20/102021 माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई (अनुलग्नक आर–2)। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय (अनुभाग–1) विभाग के आदेश दिनांक 08.02.2024 एवं 21.02.204 तथा पंचायती राज विभाग द्वारा समय समय पर पारित आदेश एवं निर्देश और जिला परिषद झुंझुनू की प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 13.02.2024 के निर्णय की अनुपालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझूनू द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 पारित किया गया है, जो पूर्णतः सक्षम अधिकारिता के अन्तर्गत जारी किया गया है। पंचायती राज विभाग की आज्ञा राज्य के नवगठित जिलों से संबधित जिला परिषदों की कार्य व्यवस्था दिनांक 06.10.2023 के क्रम में पारित स्थानान्तरण सक्षम अधिकारिता के अन्तर्गत होने से अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है (अनुलग्नक आर–3)। अपीलार्थी राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है पूर्व में भी समय समय पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यरत पंचायत समिति से जिला परिषद अथवा अन्य पंचायत समिति मे किया गया जिसकी अपीलार्थी द्वारा पालना की गई हस्तगत अपील में भी सक्षम अधिकारिता द्वारा पंचायत समिति अलसीसर से पंचायत समिति बुहाना स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की सेवा संबधित संस्थापन, सेवा अभिलेख, वेतन इत्यादि की समस्त कार्यवाही एवं प्रशासनिक नियंत्रण और आदेशो की अनुपालना मे alloction of post संबधित पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Namrata Verma v/s The state of uttar pradesh & ors

में अभिनिर्धारित किया है कि– It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement. उक्तनुसार जारी आदेश दिनांक 15.02.2024 विधिसम्मत होने से उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है (अनुलग्नक आर–4)। अपीलार्थी का पद कनिष्ठ सहायक, स्थानन्तरणीय पद है। स्थानान्तरण सेवा की एक सामान्य प्रक्रिया मात्र है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि वह अपने कर्मचारी की सेवाएं कहां और कैसे ले। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में जिला परिषद झुन्झुनूं द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में जारी आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.02.2024 को चुनौती दी गई है। इन समस्त अपीलों में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को निम्न समान (Common) आधार पर चुनौती दी गई है।

क्रं.सं.	अपील के आधार
1.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश द्वारा अपीलार्थी का अंतर जिला अर्थात एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया गया है।
2.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89 (8)(ii) का उल्लंघन कर जारी किया गया है।
3.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में बिना सक्षम स्वीकृति के जारी किया गया है।
4.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश पंचायतीराज (अन्तरित गतिविधि) नियम 2011 की धारा 8 (ii) के उल्लंघन में जारी किया गया है।
5.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से अत्यधिक दूरी पर स्थानान्तरण किया गया है।
6.	आलौच्य स्थानान्तरण आदेश राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 289 के उल्लंघन में जारी किया गया है।

उक्त समान आधारों के अतिरिक्त अपीलार्थीगण द्वारा निम्न व्यक्तिगत कारणों के आधार पर भी आलौच्य आदेश को चुनौती दी गई है, जिनका विवरण निम्न तालिका में किया जा रहा है।

क्रं. सं.	अपीलार्थीगण का नाम	विवरण
1.	मुकेश कुमार	(i) अपीलार्थी का पुत्र कैंसर रोग से पीडित है और स्थानान्तरण से उसके उपचार में असुविधा होगी।
2.	संतोष कुमारी	(i) अपीलार्थी के पति सीमा सुरक्षा बल में पदस्थापित है और स्थानान्तरण से पारिवारिक परेशानी उत्पन्न हुई।
3.	अरविन्द कुमार	(i) अपीलार्थी लकवा ग्रस्त है, जिसका उपचार चल रहा है अतः स्थानान्तरण से असुविधा उत्पन्न होगी। (ii) विभागीय स्थानान्तरण नीति में दो वर्ष की अवधि से पहले स्थानान्तरण नहीं करने का प्रावधान है। इसके उल्लंघन में

		आदेश जारी किया गया है।
4.	अनिता कुमारी	(i) अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में किए गए स्थानान्तरण पर अधिकरण का स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2023 प्रभावी है उसके बावजूद आलौच्य आदेश द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है। (ii) अपीलार्थी के पति सीमा सुरक्षा बल में पदस्थापित है। स्थानान्तरण से पारिवारिक परेशानी उत्पन्न होगी। (iii) अपीलार्थी का स्थानान्तरण विभागीय स्थानान्तरण नीति के प्रावधान के विपरीत दो वर्ष से कम अवधि में किया गया है।

इन समस्त अपीलों में उभय पक्ष को सुना जाकर और इन अपीलों में पत्रावलियों पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन एवं मनन कर इन समस्त अपीलों में दो अलग–अलग आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा अपीलें स्वीकार कर अपीलार्थीगण के संबंध में जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया गया। अधिकरण के एक आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा निम्न अपीले निर्णित की गई।

क्र.सं.	अपीलार्थीगण का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहा से	**कहां को**
1.	अनिता कुमारी	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. मण्डावा	पं.सं. खेतड़ी
2.	तब्बुसुम बानो	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. मण्डावा	पं.सं. बुहाना
3.	प्रदीप कुमार मीना	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. मण्डावा	पं.सं. सिंघाना

अधिकरण के अन्य एकल आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा निम्न अपील प्रकरण निर्णित किए गएः–

क्र. सं.	**अपीलार्थीगण का नाम**	**पदनाम**	**स्थानान्तरण**	
			कहा से	**कहां को**
1.	अरविन्द कुमार	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. खेतड़ी
2.	संतोष कुमारी	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. बुहाना
3.	मुकेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. बुहाना
4.	रसीद अली	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. खेतड़ी
5.	नानची	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. खेतड़ी
6.	शमसाद अली	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. सिंघाना
7.	सज्जन सिंह	ग्राम विकास अधिकारी	पं.सं. अलसीसर	पं.सं. बुहाना

पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिकाओं के संबंध में जारी निर्णय/आदेश दिनांक 28.08.2024 एवं आदेश दिनांक 30.08.2024 से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा सज्जन सिंह के प्रकरण में अधिकरण के आदेश को चुनौती दिए जाने के संबंध में कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

इन समस्त अपीलों में अधिकरण द्वारा उभय पक्ष के कथनों पर विचार कर अपीलों को स्वीकार कर आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को अपीलार्थीगण के संबंध में निरस्त करने का आदेश दिनांक 29.02.2024 पारित किया गया। अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में निम्न रिट याचिका दायर की गईः–

क्रं.सं.	अपीलार्थी का नाम	रिट याचिका संख्या
1.	प्रदीप कुमार मीना	13219/2024
2.	तब्बुसुम बानो	13206/2024
3.	अरविन्द कुमार	13207/2024
4.	शमसाद अली	13208/2024
5.	अनिता कुमारी	13220/2024
6.	रसीद अली खान	13228/2024
7.	मुकेश कुमार	13237/2024
8.	संतोष कुमारी	13363/2024
9.	नानची	13224/2024

राज्य सरकार द्वारा दायर रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 28.08.2024 द्वारा निर्णित किया जाकर निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

"In view thereof, these writ petitions are disposed of in following terms as agreed and requested by learned counsels for the respective parties:-

"(i) The order impugned dated 29.02.2024 is quashed and set aside.

(ii) The appeals preferred by the respondents are restored to their original number which shall be decided by the Tribunal on their merits within a period of four weeks from the date of communication of this order.

(iii) The respondents shall continue to work at the places they are working at present till decision in the appeals."

Pending application(s), if any, also stands disposed of accordingly"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा नानची की रिट याचिका को आदेश दिनांक 30.08.2024 द्वारा उक्त प्रकरणों के समान बताते हुए आदेश दिनांक 28.08.2024 के अनुरूप निस्तारित किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश की अनुपालना में उक्त समस्त अपीलों को उनके मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित किया गया और विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन एवं मनन किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकरण के आदेश के विरूद्ध दायर रिट याचिकाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू द्वारा एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण का उपलब्ध स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया है। कोई भी नई पंचायत समिति सृजित नहीं हुई है।

अधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र, जिसे प्रत्यर्थी विभाग ने अधिकरण के समक्ष अपीले पुर्नस्थापित होने के बाद प्रस्तुत किया गया, का अवलोकन किया गया। जिसमें यह कथन किया है कि सभी पंचायत समिति यथा सिंघाना, बुहाना, खेतडी का गठन पूर्व में ही किया जा चुका है। वर्तमान में कोई भी पंचायत समिति नई सृजित नहीं हुई है। साथ ही अपीलार्थीगण नव नियुक्त कार्मिक नहीं है और उन्हें जिला परिषद द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा स्थानान्तरित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण नव नियुक्त कार्मिक नहीं हैं और उन्हें पूर्व से स्थापित पंचायत समिति में स्वीकृत पदों के विरूद्ध स्थानान्तरित किया गया है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि स्थानान्तरण कुछ कार्मिकों के निवेदन पर भी किये गये हैं। इस शपथ पत्र के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना किः–

''Under challenge is the common order dated 29.02.2024 passed by the Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal, Jaipur in the appeals preferred by the respondents against their transfer order(s). Para 8 of the order impugned reveals that the appeals have been allowed on the factual foundation that the respondents were appointed in the New Panchayat Samitis by way of transfer which, as per the additional affidavit of Shri Ambalal Meena, the Chief Executive Officer, Zila Parishad, Jhunjhunu dated 28.08.2024, is factually incorrect. The affidavit says that all the respondents were transferred against the existing vacancies in the Panchayat Samitis none of which was newly created. The aforesaid factual position is not disputed even by the learned counsel for the respondents."

हमारा विनम्र मत है कि इन समस्त अपीलों में स्थानान्तरण आदेश को जिस आधारों पर चुनौती दी गई है उनका विवरण आदेश के प्रारम्भ में अंकन किया गया है। इन समस्त अपीलों में किसी भी अपील में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई है कि उनका स्थानान्तरण किसी नवसृजित पंचायत समिति में किया गया है अथवा बिना स्वीकृत पद के किया गया है अथवा अपीलार्थीगण नव नियुक्त कर्मचारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इन अपीलों में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत जवाब में भी नव गठित पंचायत समिति में स्थानान्तण अथवा अपीलार्थीगण के नव नियुक्त कर्मचारी होने के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत अपीलों में आलौच्य आदेश को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89(8)(ii) एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही अपीलार्थीगण का अन्तर जिला स्थानान्तरण किया गया, जिससे इनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इन अपीलों में प्रस्तुत जवाब में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 89(8)(ii) की पालना एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 की पालना करने से संबंधित कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात इन अपीलों को पुर्नस्थापित करने के बाद भी ऐसा कोई तथ्य प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश के संबंध में पंचायतीराज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों की पालना की गई है। अधिकरण ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89(8)(ii) की अवहेलना के आधार पर आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें स्वीकार कर आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया गया है। अधिकरण का आदेश दिनांक 29.02.2024 का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धत किया जा रहा हैः–

''8. वर्तमान आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थीगण को नई पंचायत समितियों में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति दी गई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 (8) स्थानांतरण आदेश से नियुक्ति के संबंध में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आलोच्य आदेश में धारा 89(8) (ii) लागू नहीं होती। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8) (ii) का प्रावधान निम्न प्रकार से हैः–

"(8) नियुक्तियां :–

(i).....

(ii) स्थानान्तरण द्वारा, उन पंचायत समितियों या जिला परिषदो के प्रधानों या, यथास्थिति, प्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी, जिनमें ऐसा स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।"

9. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा की गई है, उन मामलों में जब एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से परामर्श किये जाने के पश्चात की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत WLN (UC) (Raj) 2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में भी यही मत दिया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण पर दोनों पंचायत समितियों के प्रमुख से परामर्श किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण ने यह प्रकट किया है कि पंचायत समिति अलसीसर, जहां अपीलार्थीगण पदस्थापित है, वहां के प्रधान से सहमति नहीं ली गई है। ऐसे में यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थीगण के स्थानांतरण में धारा 89 (8) (ii) की अवहेलना की गई है।

10 परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अपलार्थीगण की हद तक आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।''

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"(8) Appointments by-

(i) promotion shall be made by the Panchayat Samiti or the Zila Parishad, as the case may be, in the prescribed manner from amongst the persons whose names have been entered in the list prepared by the District Establishment Committee, and

(ii) transfer shall be made after consultation with the Pradhans or the Pramukhs, as the case may be of the Panchayat Samitis or the Zila Parishad from and to which such transfer is proposed to be made."

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8)(i) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है और राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8)(ii) स्थानान्तरणा के माध्यम से नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 89(6) में सीधी भर्ती के संबंध में प्रावधान है। स्थानान्तरण के माध्यम से किसी एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत समिति में नियुक्ति की दशा में यह प्रावधान किया गया है कि एक पंचायत समिति से अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरण संबंधित प्रधानों से परामर्श करके किया जायेगा। अर्थात् जिस पंचायत समिति से कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा रहा है और जिस पंचायत समिति में कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जा रहा है, दोनो प्रधानों से परामर्श करना आवश्यक है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8A) में राज्य सरकार को ऐसे किसी भी स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु जिला परिषद द्वारा जिले के भीतर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कर्मचारी का स्थानान्तरण करने के लिए संबंधित दोनों पंचायत समिति के प्रधानों से परामर्श लिया जाना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय ने WLN (UC) (Raj) 2011 page 197 मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 15.12.2010 में भी यह अभिमत दिया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण पर दोनों पंचायत समितियों के प्रमुख से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

यही सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11358/2021 किशन सैनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, एस. बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11397/2021 कृष्णलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 11410/2021 कमलैश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 09.09.2021 द्वारा पारित किया गया। इसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन नहीं हुआ है तो इस दशा में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी की सहमति ली जायेगी, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

"10. **Even if the doctrine of the necessity is invoked and the Chief Executive Officer, in absence of constitution of District Establishment Committee, is held competent to effect transfers, he will have to take consent of Block Development Officer of both the Panchayat Samities. Since the consent of the Block Development Officer of the place of posting and place of proposed transfer has not been taken, the transfer order under scrutiny is clearly contrary to the provisions contained in Section 89(8)(i) and (ii) of the Act of 1994 and Rule 289 of the Rules of 1996.**

11. The law on this subject is well settled, as is evident from the judgments cited by Mr. Bhaleria."

राजस्थान पंचायती राज विभाग ने आदेश दिनांक 04.09.2006 जारी किया है, जिसमें स्थानांतरण के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं, उक्त आदेश का मद संख्या–2 निम्न प्रकार से हैः–

"2. जिले के कार्मिकों के स्थानान्तरण जिले के अन्दर एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में करने के लिये जिला स्थापना समिति की सहमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित प्रधान की सहमति लिया जाना आवश्यक है।"

उक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थीगण द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की धारा 89(8)(ii) के उल्लंघन में जारी करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलों में प्रस्तुत जवाब में धारा 89(8)(ii) के प्रावधान के अनुसार संबंधित प्रधानों से परामर्श करने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि संबंधित प्रधानों से परामर्श नहीं किया गया है। इसी आधार पर अधिकरण के पूर्व आदेश दिनांक 29.02.2024 द्वारा अपीले स्वीकार की जाकर स्थानान्तरण आदेश को अपास्त किया गया है।

इन समस्त अपीलों में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश को नव सृजित पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने अथवा बिना स्वीकृत पदों के स्थानान्तरण करने अथवा अपीलार्थीगण नव नियुक्ति कर्मचारी होने के आधार पर चुनौती नहीं दी गई है। अधिकरण द्वारा इन अपीलों में पारित आदेश दिनांक 29.02.2024 के पैरा संख्या–8 में **''नई पंचायत समिति में स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति''** करने का अंकन किया गया है। यहां नई पंचायत समिति से आशय उन पंचायत समिति से है जिसमें अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण वर्तमान पंचायत समिति से किया गया है। नई पंचायत समिति से आशय नव सृजित या नवगठित पंचायत समिति से नहीं रहा है बल्कि उस पंचायत समिति से जहां अपीलार्थी का नव पदस्थापन हुआ है। जहां तक स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति करने का अंकन है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8)(ii) में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति प्रदान करने के प्रावधान के दृष्टिगत यह तथ्य अंकित किया गया है। यहां नियुक्ति का आशय नवीन नियुक्ति या नव नियुक्त कार्मिकों से नहीं है। इसका आशय स्थानान्तरण के आधार पर अन्य पंचायत समिति में नियुक्ति करने से है।

जहां तक पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधान की आलौच्य आदेश जारी करने में उल्लंघन करने का विषय है। नियम 289 के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

"Rule 289. Transfer within the district.-(1) The name of the employee desiring transfer or desired to be transferred within the district shall be communicated to the [Administration and Establishment Committee of Zila Parishad concerned][2] by the Panchayat Samiti.

(2) Posting by transfer of such an employee shall be made by the Panchayat Samiti or Zila Parishad concerned on the recommendation of the [Administration and Establishment Committee of Zila Parishad concerned].

(3) State Government may issue orders regarding transfers from time to time. In case [Administration and Establishment Committee of Zila Parishad concerned][2]/Standing Committee of Panchayat Samiti does not agree, Chief Executive Officer/Vikas Adhikari as the case may be, shall carry out orders of the state Government.

(4) On transfer of the employee, his confidential roll and service record will be transmitted, without avoidable delay, to the Panchayat Samiti/Zila Parishad to whom his services have been transferred"

प्रस्तुत अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब/दस्जावेजों से यह तो स्पष्ट है कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय की अनुपालना में जारी हुए है परन्तु इनको जारी करने में नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति उसी दशा में स्थानान्तरण कर सकती है, जब पंचायत समिति द्वारा उस संबंध में जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति को सूचित किया गया हो या कर्मचारी ने इच्छा जाहिर की हो। इन सभी अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिससे यह स्पष्ट हो कि इन स्थानान्तरण के संबंध में कर्मचारी ने इच्छा जाहिर की है या संबंधित पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति को इस विषय में सूचित किया गया हो। अतः स्पष्ट है कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश नियम 289 के प्रावधानों के उल्लंघन में जारी हुए है। मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है किः–

"Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1959, R. 289-Transfer-Transfer of Gram Sevaks of One Panchayat Samiti to another without consultation with Pradhans or Pramukhs-Order quashed with liberty to pass fresh orders after compliance with Rule."

जहां तक अपीलार्थी के अन्तर जिला स्थानान्तरण का विषय है इस संबंध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 290 में अधिसूचना दिनांक 08 जून, 2016 द्वारा संशोधित कर उप नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा गया हैः–

''परन्तु अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (2) के खण्ड (i) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था।''

अतः उपरोक्त संशोधन के पश्चात अधिनियम की धारा 89 की उप धारा (2) के खण्ड (i) और खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले से बाहर

स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। उपधारा (2) के खण्ड (i) में Village level workers; एवं खण्ड (iv) में Ministerial establishment में पदों का अकन है।

इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मंत्रालयिक संवर्ग एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (VLW) का अन्तर जिला स्थानान्तरण नियमों में अनुज्ञेय नहीं है। इन अपीलों में निम्न अपीलार्थीगण का अन्तर जिला स्थानान्तरण किया गया है, जो नियमों में अनुज्ञेय नहीं है:–

क्र. सं.	अपीलार्थीगण का नाम	पदनाम	स्थानान्तरण	
			कहा से	कहां को
1.	अनिता कुमारी	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. मण्डावा (झुन्झुनूं)	पं. सं. खेतड़ी (नीम का थाना)
2.	अरविन्द कुमार	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर (झुन्झुनूं)	पं.सं. खेतड़ी (नीम का थाना)
3.	रसीद अली	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर (झुन्झुनूं)	पं.सं. खेतड़ी (नीम का थाना)
4.	नानची	कनिष्ठ सहायक	पं.सं. अलसीसर (झुन्झुनूं)	पं.सं. खेतड़ी (नीम का थाना)

अपील में जिन अन्य आधार पर आलौच्य आदेश को चुनौती दी गई है उनके संबंध में निवेदन है कि:–

(a) आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.02.2024 को जारी किया गया। तत्समय राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध में शिथिलन प्रदान किया था अतः प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से यह आधार मान्य नहीं है।

(b) अपीलार्थीगण पंचायती राज विभाग के कर्मचारी है अतः इन पर पंचायती राज (अन्तरित गतिविधियाँ) नियम, 2011 इन पर लागू नहीं होने से यह आधार मान्य नहीं है।

(c) स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से दूर होने के आधार पर चुनौती दी गई है, जबकि अपीलार्थी को इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन देकर अपना परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए था।

अन्य निजी आधारों में अपीलार्थी संतोष कुमारी एवं अन्य अपीलार्थीगण अनिता कुमारी ने उनके पति सीमा सुरक्षा बल में पदस्थापित होने, अरविन्द कुमार ने स्वयं लकवाग्रस्त होकर उपचाररत होने एवं मुकेश कुमार ने पुत्र के कैंसर पीड़ित होने के व्यक्तिगत कारणों के आधार पर भी आलोच्य आदेश को चुनौती दी है। हमारा यह मानना है कि गंभीर बीमारी एवं शारीरिक निशक्तता के प्रकरणों में सदैव मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।

उक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि सभी अपीलार्थीण के संबंध में जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.02.2024 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8)(ii) एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों की अवहेलना में जारी किया गया है। संबंधित जिला परिषद जिले में

एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 89(8)(ii) एवं पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों की पालना करने के लिए बाध्य है। इसकी पालना नहीं होने से जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश नियम विरूद्ध है। अपीलार्थीगण अनिता कुमारी, अरविन्द कुमार एवं रसीद अली के अन्तर जिला स्थानान्तरण किए गए है जो प्रभावी विधिक प्रावधानों में अनुज्ञेय नहीं है।

अतः अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार की जाकर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तालिका में अंकित अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में जारी आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.02.2024 को अपास्त किया जाता है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 306/2024 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)